राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 379/2022

बसन्ती देवी पत्नी शीशराम सेनिक जाति जाट निवासी ढोसी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीया

ब–ना–म

1. मन्दिर श्री रामचन्द्र जी जरिये भू स्वामी तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक 11–01–2023

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ढोसी तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 83 के ख.नं. 436 रकबा 0.22 है., ख.नं. 437 रकबा 0.02 है., ख.नं. 438 रकबा 2.82 है., ख.नं. 518 रकबा 0.08 है. कुल किता 4 कुल रकबा 3.14 है. भूमि की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम ढोसी तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 93 में दर्ज ख.नं. 516 रकबा 1.25 है. भूमि के अप्रार्थी मन्दिर मूर्ति भूमि धारक तहसीलदार दर्ज है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि ख.नं. 436 रकबा 0.22 है., ख.नं. 437 रकबा 0.02 है., ख.नं. 438 रकबा 2.82 है., ख.नं. 518 रकबा 0.08 है. मं आने ज़ाने व साधन लाने ले जाने के लिए मात्र एक रास्ता आम ख.नं. 580 जो कटान में कटा हुआ है जो गांव ढोसी से खेतों में जाता है के उत्तर दिशा में फटकर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.नं. 516 की दक्षिणी पश्चिमी मेड़/सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ प्रार्थीया की भूमि ख.नं. 438 रकबा 2.82 है. में कदीम से आता जाता रहा है जिसे नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दिखाया गया है। प्रार्थीया का यह रास्ता कदीम से आवागमन के रास्ते के रूप में व साधन लाने ले जाने के काम में आता रहा है जो 12 फुट चौड़ा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीया की भूमि ख.नं. 436 रकबा 0.22 है., ख.नं. 437 रकबा 0.02 है., ख.नं. 438 रकबा 2.82 है., ख.नं. 518 रकबा 0.08 है. में आने जाने व साधन तथा पशु लाने ले जाने हेतु उपरोक्त वर्णित रास्ता ही एक मात्र रासता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु प्रार्थीया के पास नहीं है तथा उपरोक्त रास्ता प्रार्थीया के लिए सबसे छोटा, सुगम व अत्यांतिक आवश्यकता का भी है। प्रार्थीया अपनी भूमि के समस्त कृषि कार्य इसी रास्ते से करती है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में कटानी का नहीं होने से प्रार्थीया को भारी परेशानी होती है। आवेदिका को उपरोक्त वर्णित 12 फीट चौड़े रासते की अत्यांतिक आवश्यकता है। आवेदिका धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार नियमानुसार प्रतिकर देने हेतु तत्पर व तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम ढोसी स्थित आम रास्ता कटानी खनं. 580 के उत्तर दिशा में स्थित ख.नं. 516 की दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे भूमि ख.नं. 438 की दक्षिण सीमा तक ख.नं. 516 में से 12 फीट चौड़ा रास्ता जिसे नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, कायम किया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/2023 दिनांक 19.12.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि:–

1. आवेदित रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक (आत्यंतिक) है तथा यह जोत (हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है।
2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्तावित मार्ग निकटतम व लघुत्तम है, आवेदन रास्ते की चौड़ाई मीटर चाहते हैं और अगर इससे अधिक चाहने पर 30 फुट तक दिया जा सकता है।
4. प्रस्तावित रास्तें में 0.0832 है. भूमि प्रभावित होगी जिसकी डीएलसी दर 72153/–रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 144310/–रूपये हैं।
5. प्रस्तावित रास्ते में कोई वृक्ष नहीं आता है परन्तु वर्तमान समय में फसल खड़ी हुई है।

तहसीलदार, खेतड़ी ने उक्त पत्र के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत दूधवा नांगलिया की मूल मौका रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 83, खाता सं. 93 व खाता सं. 1 ग्राम ढोसी, नकल खसरा नक्शा एवं जमाबंदी ग्राम ढोसी पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत दूधवा नांगलिया का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.12.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक दूधवा नांगलिया में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीया को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया को खसरा नंबर 438 ग्राम ढोसी में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 516 ग्राम ढोसी में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 832 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीया के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 438 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 19.12.2022 के प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढोसी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 438 रकबा 2.82 है. में जाने के लिए मुख्य आम रास्ता ख.नं. 580 ग्राम ढोसी से ग्राम ढोसी स्थिति भूमि खसरा नंबर 516 रकबा 1.25 है. में से 832 वर्गमीटर पुख्ता आम रास्ता ख.नं. 438 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में राजकीय भूमि ख.नं. 516 रकबा 1.25 है. में से 832 वर्गमीटर (0.0832 है.) रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 832 वर्गमीटर (0.0832 है.) भूमि की दुगुनी राशि 144310/–रू. (अक्षरे एक लाख चैंवालीस हजार ती सौ दस रूपये) प्रार्थीया तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेगी। तहसीलदार, खेतड़ी भूमि खसरा नंबर 516 के प्रतिकार की राशि राजकोष में जमा करेंगे। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 516 के रकबे में से रास्ते की बाबत 832 वर्गमीटर (0.0832 है.) भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 11–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner